"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 8 अगस्त 2024 — श्रावण 17, शक 1946

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 अगस्त 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–25/2024/22–1.— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 10 की उप–धारा (3) सहपठित धारा 127 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक जिले {उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (तीन) में वर्णित राजस्व जिलों} में जिला पंचायतों की स्थापना हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, जांजगीर–चांपा एवं कोरिया जिले का पुनर्गठन कर 06 नवीन जिलों यथा गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, सारंगढ़–बिलाईगढ़, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी, सक्ती एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के सृजन उपरांत इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के लिए कॉलम (4) में उल्लिखित नाम से जिला पंचायत स्थापित करना प्रस्तावित करती है, जिसमें कॉलम (3) में उल्लिखित राजस्व जिले या उसके भाग समाविष्ट होंगे।

उक्त सूचना के संबंध में, किसी प्रभावित व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस के भीतर, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क. एस3–31), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त होने पर, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई की आगामी तिथि में राज्य सरकार द्वारा अंतिम विनिश्चय किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, संयुक्त सचिव.

अनुसूची

स. क्र.	अधिनियम के प्रयोजन हेतु जिले का नाम	राजस्व जिला/उसके भाग, जो इसमें सम्मिलित है, का नाम	जिला पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर (1. पेण्ड्रारोड, 2. मरवाही, 3. पेण्ड्रा तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	बिलासपुर
2.	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (1. पेण्ड्रारोड, 2. मरवाही, 3. पेण्ड्रा तहसील)	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही
3.	रायगढ़	रायगढ़ (1. सारंगढ़, 2. बरमकेला, 3. सरिया तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	रायगढ़
4.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार (1. बिलाईगढ़, 2. भटगांव तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	बलौदाबाजार
5.	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़–बिलाईगढ़ (1. सारंगढ़, 2. बरमकेला, 3. सरिया, 4. बिलाईगढ़, 5. भटगांव)	सारंगढ़–बिलाईगढ़
6.	राजनांदगांव	राजनांदगांव (1. खैरागढ़, 2. गण्डई, 3. छुईखदान, 4. साल्हेवारा, 5. मोहला, 6. मानपुर, 7. औंधी, 8. खड़गांव, 9. अम्बागढ़ चौकी तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	राजनांदगांव
7.	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (1. खैरागढ़, 2. गण्डई, 3. छुईखदान, 4. साल्हेवारा तहसील)	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई
8.	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी (1. मोहला, 2. मानपुर, 3. औधी, 4. खड़गांव, 5. अम्बागढ़–चौकी तहसील)	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़–चौकी
9.	जांजगीर–चाम्पा	जांजगीर–चाम्पा (1.सक्ती, 2. मालखरौदा, 3. जैजैपुर, 4. बाराद्वार, 5. डभरा, 6. अड़भार तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	जांजगीर–चाम्पा

10.	सक्ती	सक्ती (1.सक्ती, 2. मालखरौदा, 3. जैजैपुर, 4. बाराद्वार, 5. डभरा, 6. अड़भार तहसील)	सक्ती
11.	कोरिया	कोरिया (1. मनेन्द्रगढ़, 2. चिरमिरी, 3. केल्हारी, 4. भरतपुर, 5. कोटाडोल, 6. खड़गवां तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	कोरिया
12.	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (1. मनेन्द्रगढ़, 2. चिरमिरी, 3. केल्हारी, 4. भरतपुर, 5. कोटाडोल, 6. खड़गवां तहसील)	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर